## नियोजन की आवश्यकता

आपदा एक आकस्मिक तथा अनिश्चित चुनौती है, यद्यपि कुछ आपदाओं को रोकना संभव नहीं है जैसे भूकंप, चक्रवात आदि परन्तु उसके प्रभाव का न्यूनीकरण शमन कार्य योजना द्वारा किया जा सकता है। कई मानव जनित आपदाओं को एवं कुछ सीमा तक प्राकृतिक आपदाओं को भी रोका जा सकता है। नियोजन, पूर्व तैयारी, शमन और पूर्वाभ्यास होने पर किसी भी आपदा के प्रभाव को न्यूनतम या कई स्थितियों में नगण्य किया जा सकता है। वर्तमान में आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण और उसे अद्यतन रखे जाने के संबंध में सभी सहमत है, परंतु प्रश्न यह उठता है, कि क्या राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना पर्याप्त नहीं है। यह क्यों आवश्यक है, कि प्रत्येक जिलें की पृथक आपदा प्रबंधन योजना हो, और उसकी क्यो सार्थकता है?

- **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005** – ''आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005'' के अनुसार भारतवर्ष के प्रत्येक जिले की अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना आवश्यक है।

- **स्थानीय स्थिति**– जब भी किसी क्षेत्र विशेष पर आपदा आती है, तो सर्वप्रथम स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विभाग ही त्वरित अनुक्रिया करते हैं, राज्य और संपूर्ण देश से मद्द आने में समय लगता है, और यदि वे समय पर पहुंच भी जाए तो भी स्थानीय परिस्थितियों और वातावरण से तालमेंल बैठाते और उसको समझते–समझते काफी समय निकल जाता है।

- **विशिष्ट क्षेत्र**– प्रत्येक क्षेत्र/जिले की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, प्रशासनिक रूप से वह एक अलग इकाई होता है, और कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। अतः जिला स्तर पर कार्यवाही करना आसान होता है। ऐसे में जिले की अपनी पृथक आपदा प्रबंधन रणनीति हो, पृथक योजना हो तो कार्य को और सुगम बनाया जा सकता है।

- **इकाई–** इकाई जितनी छोटी होगी, प्रबन्धन भी उतना अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। अतः जिला आपदा प्रबंधन योजना को जितनी जल्दी निर्मित एवं लागू कर दिया जाए उतना ही बेहतर होगा।

- **अभी तक की स्थिती**– जिला मंदसौर में, अद्यतन बहुआयामी एवं अनुकूलतम आपदा प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो पायी थी, यद्यपि समय समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाई गई हैं, परंतु मंदसौर जिले में बाढ के अलावा अन्य भी कई प्रकार की आपदाओं की संभावनाएं भी विद्यमान हैं। अधिक अनुकूल, बहुआयामी एवं व्यवस्थित योजना बनाना अति आवश्यक है।

- **पूर्व तैयारी**– आपदा प्रबंधन योजना का एक महत्वपूर्ण चरण होता है– पूर्व तैयारी, अर्थात किसी भी प्रकार की आपदा के लिए हमारा प्रशासन और समुदाय पूर्णरूपेण तैयार रहें। पूर्व तैयारी में यह शामिल होता है कि किस दल की क्या जिम्मेंदारी होगी; किस प्रकार की आपदा आने पर क्या कार्य योजना अपनाई जाएगी, शासन की भूमिका क्या होगी, स्वयंसेवी संस्थाओं की क्या भूमिका होगी और समुदाय की क्या भूमिका होगी। यदि हमारे पास ''पूर्व योजना'' की एक यथार्थ/सही रूपरेखा हो, एवं समुदाय के विभिन्न वर्गों को उसके अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए, अवास्तविक अभ्यास (Mock drill) करवाए जाएं, तो यह निश्चित है, कि आपदा पर सहज नियंत्रण पाया जा सकता है।

- **विकास तथा आपदा शमन–** आज की आवश्यकता है, कि विकास की अवधारणा में ''शमन'' को भी शामिल किया जाए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विकास के साथ–साथ विभिन्न आपदाओं से कैसे बचा जाए, और कैसे उनके प्रभावों को कम किया जाये यह जानकारी होना भी एक स्वस्थ विकास का द्योतक है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की निर्माण एवं विनिर्माण संबंधी विकास योजनाओं में आपदा संबंधी ''संरचनात्मक'' शमन उपायों को प्राथमिकता देते हुए शामिल करना अति आवश्यक है; लोगों में भूकंपरोधी मकान निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति जागरूकता लानी होगी। किसी भी प्रकार के निर्माण परियोजना में यह

आवश्यक होना चाहिए कि आपदा संबंधी संरचनात्मक शमन के तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह ली जाए।

- **तैयार समुदाय**– किसी भी आपदा स्थिति का मुकाबला करने हेतु पूर्व तैयारी हो, संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक शमन ठीक प्रकार से नियोजित हो– समुदाय तैयार हो, तो आपदा की अनुक्रिया कई गुना बेहतर ढंग से एवं न्यूनतम हानि के साथ संपन्न की जा सकती है।

- **योजना एवं कोष सहायता**– शासकीय एवं गैर–शासकीय संस्थाओं के पास ''आपदा प्रबंधन'' हेतु कोष उपलब्ध है, किंतु इस कोष का बहुत सीमित उपयोग हो रहा है, वास्तव में इस विसंगति का एकमात्र कारण है, अनुकूलतम योजना की अनुपलब्धता। यदि जिले के आपदा प्रबंधन हेतु एक व्यवहारिक एवं अनुकूल योजना हो, एवं उसमें यह स्पष्ट परिलक्षित हो कि किस मद पर कितना व्यय किया जाना है, कितने कोष की आवश्यकता है, तो निश्चय ही आपदाओं का प्रबंधन प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।

- **जागरूकता–** यह सर्व विदित है, कि ''आपदा प्रबंधन'' के संदर्भ में लोगों का ज्ञान एवं जागरूकता सतही है, चाहे वह आम जनता हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो या अन्य प्राधिकारी हो। ऐसे में यदि सभी अधिकारी प्राधिकारी आदि के साथ मिलकर जब जिला योजना बनाई जाएगी तो आपदा प्रबंधन के संदर्भ में उनका ज्ञान और जागरूकता दोनों विकसित होंगे।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबन्धन संस्थान, भोपाल ने यूनिसेफ (सीबीडीआरएम) के सहयोग से एवं मध्यप्रदेश शासन के सहयोग से मध्यप्रदेश के 10 आपदा के प्रति अति संवेदनशील जिलों के लिए जिला आपदा प्रबन्धन योजना, एवं उन जिलों में भी आपदा के प्रति अति संवेदनशील ग्रामों में, ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने हेतु एक परियोजना प्रारम्भ की है। इस परियोजना अंतर्गत जिला एवं ग्राम स्तर पर कार्यरत विभिन्न प्राधिकृत संस्थाओं को शामिल करते हुए, चयनित जिलों में से

प्रत्येक के 25 अति आपदा प्रभावित ग्रामों में भी ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना को सामुदायिक सहभागिता के आधार पर तैयार किया जाना प्रस्तावित है। इन जिलों में से मंदसौर भी एक चयनित जिला है।

## आपदा प्रबंधन के बदलते प्रतिमान

वर्तमान में आपदाओं के प्रबन्धन में भारत सरकार द्वारा अब केवल ''राहत'' के विषय को हटाते हुए, एवं एक नये दृष्टिकोण को धारण करते हुए आपदा प्रबन्धन से जुडे सभी पहलुओं को सम्मिलित कर एक वृह्द आपदा प्रबन्धन की कार्य योजना बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस नये दृष्टिकोण में आपदा प्रबन्धन को विकास की एक कड़ी मानते हुए आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु जन सहभागिता सहित कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

आपदा प्रबंधन को विकास की अवधारणा के साथ जोड़ा जा रहा है। विभिन्न स्तरों पर (केन्द्र, राज्य, जिला, तहसील एवं ग्राम) आपदा प्रबंधन हेतु प्रभावी नियोजन एवं जनसहभागिता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन के प्रतिमान अब बदल रहे हैं, जिनके मुख्य बिंदु अग्रांकित हैं –

- विकास एवं आपदा प्रबंधन साथ साथ,
- राहत के अलावा शमन, पूर्व तैयारी एवं अनुक्रिया
- समुदाय आधारित नियोजन,
- ग्राम स्तरीय एवं विभाग स्तरीय नियोजन,
- बहुआयामी एवं बहुस्तरीय नियोजन।

## जिला आपदा प्रबन्धन योजना का उद्देश्य :

आपदा की संभावना या जोखिम को कम करना ही जिला आपदा प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य है। विभिन्न प्राधिकारियों (Stake Holders) के साथ मिलकर बनायी गयी योजना द्वारा, जिसमें विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन हेतु प्रावधान किया गया है, निश्चित ही आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। संक्षेप में जिला आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य निम्नवत है।

1. जिले के प्रमुख खतरों/संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण जिससे किसी भी आपदा के समय होने वाले नुकसानों को कम किया जा सके।
2. जिले में आपदा के दौरान कार्य करने वाले विभिन्न विभागों एवं अन्य प्राधिकृतों के पास उपलब्ध संसाधन का विशलेषण करना।
3. जिला स्तर पर आपदाओं से बचने हेतु आवश्यक एवं प्रभावी पूर्व तैयारी; व्यवस्थित, भौतिक संसाधन एवं क्षमतापूर्व मानव संसाधन सुनिश्चित करना।
4. आपदा के प्रभाव में कमी तथा रोकथाम हेतु क्षेत्र विशिष्ट एवं जोखिम के अनुसार कार्य योजना तैयार करना।

## जिला आपदा प्रबन्धन योजना की सीमायें :

किसी भी कार्य योजना की अपनी सीमा होती है, विभिन्न स्थितियों में संकलित/तैयार योजना अपेक्षाओं पर खरी नही हो पाती है, तथापि कार्य करने का एक आधार प्रदान करती है। यह कार्य योजना जिले के 25 वर्षो के विभिन्न खतरों, संवेदनशील स्तरों एवं प्राप्त आंकडो के आधार पर सहभागी प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार की गई जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना मंदसौर की सीमायें अग्रांकित हैं–

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के प्रबंधन हेतु निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण का निर्धारण विभिन्न स्तरों पर कार्यरत प्राधिकारी

विभागों/प्रशासन द्वारा आपदाओं का सामना करने की क्षमता को ध्यान में रखतें हुए किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है : –

**L0 सामान्य समयः** इस समय पर जिला प्रशासन/जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा आपदाओं का चिन्हीकरण, संवेदनशील क्षेत्र का चिन्हीकरण, पूर्व तैयारी एवं शमन, अनुक्रिया हेतु दलों का गठन एवं प्रशिक्षण, सामुदायिक जनजागरूकता आदि महत्वपूर्ण चरणों को पूर्ण किया जायेगा।

**L1** स्थिति में आपदाओं का सामना जिला स्तर पर किया जा सकेगा। यद्यपि किसी भी सहायता एवं आवश्यकता हेतु राज्य एवं राष्ट्र तैयार रहेंगे।

**L2** स्तर की आपदाओं का प्रबंधन बिना राज्य/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग के किया जाना संभव नही है।

**L3** जिले में **एल–3** स्तर की आपदा आने पर बिना राष्ट्र/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग के आपदाओं का सामना करना संभव नही है।

2. कुछ विशेष प्रकार के आपदाओं जिनका वर्तमान में हमें कोई पूर्वाभास नही हैं, ऐसी किसी अप्रत्याशित आपदा उदाहरणार्थ जैविक आपदाओं के आने पर जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना मन्दसौर पूर्णरूपेण प्रभावी नहीं होगी।

## 3. जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना निर्माण की प्रक्रिया

जिला मंदसौर की आपदा प्रबन्धन कार्य योजना का निर्माण निम्नलिखित चरणों को पूरा करते हुए किया गया है।

- जिले के प्रमुख अधिकारियो का आपदा से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर अभिमुखीकरण।
- सभी विभागों के पास उलपब्ध ऑकड़ों का संकलन।
- प्राप्त ऑकडो का विश्लेषण

- विशेषज्ञों के साथ सम्पर्क/चर्चा

- प्रथम जिला परामर्श कार्यशाला का आयोजन तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा एवं समूह कार्य के माध्यम से जिलों के प्रमुख खतरों, संवेदनशील क्षेत्रों, संसाधनों का चिन्हीकरण।

- प्राप्त तथ्यों का संकलन।

- द्वितीय जिला परामर्श कार्यशाला का आयोजन तथा जिले में उपलब्ध आपदा प्रबन्धन तथा जिले में उपलब्ध आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं आपदा प्रबन्धन की रणनीति, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य, जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष की स्थापना, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की भूमिका, इत्यादि, चिहिन्त आपदाओं के रोकथाम एवं शमन हेतु जिले की तैयारी, मानव संसाधन उपकरण, आपदा अनुक्रिया हेतु दलों का गठन एवं भूमिका इत्यादि पर चर्चा एवं समूह कार्य के माध्यम से उपरोक्त तथ्यों की पहचान एवं तैयारी।

- प्राप्त तथ्यों का संकलन।

- तृतीय जिला परामर्श कार्यशाला का आयोजन तथा प्रथम एवं द्वितीय कार्यशाला से प्राप्त तथ्यों के आधार पर एवं अनुक्रिया हेतु जिले में चिन्हित खतरों के रोकथाम प्रभावी शमन एवं अनुक्रिया हेतु विभिन्न गतिविधियों, बजट तथा वार्षिक कार्य योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन।

- तैयार जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना स्वीकृति हेतु राज्य प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी तथा स्वीकृति उपरान्त योजना को लागू कर दिया जायेगा।

# जिला मन्दसौर

www.mapsofindia.com

| आधारभूत जानकारियॉ | |
|---|---|
| गठन | 1 नवम्वर 1956 |
| भौगोलिक क्षेत्रफल | 5517 वर्ग किलोमीटर |
| भौगोलिक स्थिति | $23^0$46 से $24^0$45 उत्तरीय अक्षांश तथा $74^0$44 से $75^0$54 पूर्व देशांतर |
| जनसंख्या | 1183724 (जनगणना 2001) |
| जनसंख्या घनत्व | 214 प्रति वर्ग किमी. (जनगणना 2001) |
| पुरूष | 605119 (जनगणना 2001) |
| महिला | 578605 (जनगणना 2001) |
| जनसंख्या वृद्धि दर (दशकीय) | 23.67 (जनगणना 2001) |
| लिंगानुपात | 956 महिलायें प्रति 1000 पुरूष (जनगणना 2001) |
| कुल साक्षरता दर | 70.31 प्रतिशत (जनगणना 2001) |
| पुरूष साक्षरता दर | 85.2 प्रतिशत (जनगणना 2001) |
| स्त्री साक्षरता दर | 54.7 प्रतिशत (जनगणना 2001) |
| जन्म दर | 30 प्रति 1000 |
| मृत्यु दर | 11 प्रति 1000 |
| शिशु मृत्यु दर | 88 प्रति 1000 जीवित जन्म |
| कृषि भूमि | 321497 |
| वन क्षेत्र | 36814 हेक्टेयर |
| ऊँचाई (समुद्र तल से) | 453 मीटर |
| जिले की सीमाएं | जिले के पश्चिम एवं उत्तर में राजस्थान का जिला चित्तौडगढ, जिले के उत्तर में राजस्थान का भीलवाडा और पूर्वोत्तर में कोटा एवं झालावाड, तथा जिला के दक्षिण में रतलाम जिला स्थित है। |
| तापमान | 45 डिग्री सेल्सियस (मई) अधिकतम |

| | |
|---|---|
| | 6 डिग्री सेल्सियस (जनवरी) न्युनतम |
| औसत वर्षा | 786.6 मि0मी0 |
| विद्युतकीय ग्राम | 899 |
| प्रमुख खनिज पदार्थ | खडिया, मोरम, रेत, गेरू, लालमिट्टी |
| प्रमुख व्यवसाय | कृषि, पशुपालन |
| प्रमुख फसलें | गेहू, सोयाबीन, मूगफली, तिलहन, अफीम, चना, धान, ज्वार, धनिया एवं अन्य मसाले |

## जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

मन्दसौर जिले का गठन मध्यप्रदेश के गठन के साथ ही 1 नवम्बर 1956 में हुआ था। मन्दसौर जिला सिवना नदी के किनारे बसा है। इतिहास में दशपुर के नाम से प्रसिद्व मंदसौर में विश्व प्रसिद्व भगवान पशुपति नाथ मंदिर शिवना नदी तट पर स्थित है। प्राचीन काल में मंदसौर राज्य पर महाराजा यशोधर्मन का शासन होकर उनके द्वारा हूणों पर विजय प्राप्त की गई थी। विजय के उपलक्ष्य में पाषाण विजय स्तंभ तैयार कर विजय गाथा का वर्णन किया गया। यह विश्व प्रसिद्व शिलालेख मंदसौर के निकट ग्राम सोंधनी में स्थित है। मंदसौर जिले में अनेक ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल हैं जिनमें से हिंगलाज गढ़ का किला धर्मराजेश्वर की पाण्डु गुफा, भानपुरा की छतरी, लधुना का जलमहल, एवं सितामोह (जिसे छोटीकाशी के नाम से जाना जाता है), विश्व प्रसिद्व इतिहास पुस्तकालय–नटनागर शोध संस्था आदि स्थित है।

# प्रशासनिक इकाइयों का विवरण

| प्रशासनिक तंत्र | |
|---|---|
| संभाग | उज्जैन |
| जिला | मन्दसौर |
| अनुभाग | 04 |
| तहसील | 1 मन्दसौर<br>2 भानपुरा<br>3 गरोठ<br>4 मल्हारगढ<br>5 सीतामऊ<br>6 सुवासरा<br>7 दलौदा<br>8 शामगढ़ |
| विकासखण्ड | 1 मन्दसौर<br>2 गरोठ<br>3 सीतामऊ<br>4 मल्हारगढ<br>5 भानपुरा |
| नगरपालिका | 01 |
| विधान सभा क्षेत्र | 04 |
| जिला पंचायत | 01 |
| नगर पंचायत | 08 |
| जनपद पंचायत | 05 |
| ग्राम पंचायत | 440 |
| राजस्व ग्राम | 941 |
| आबाद ग्राम | 899 |
| वीरान ग्राम | 42 |

# जिला मन्दसौर की तहसीलें

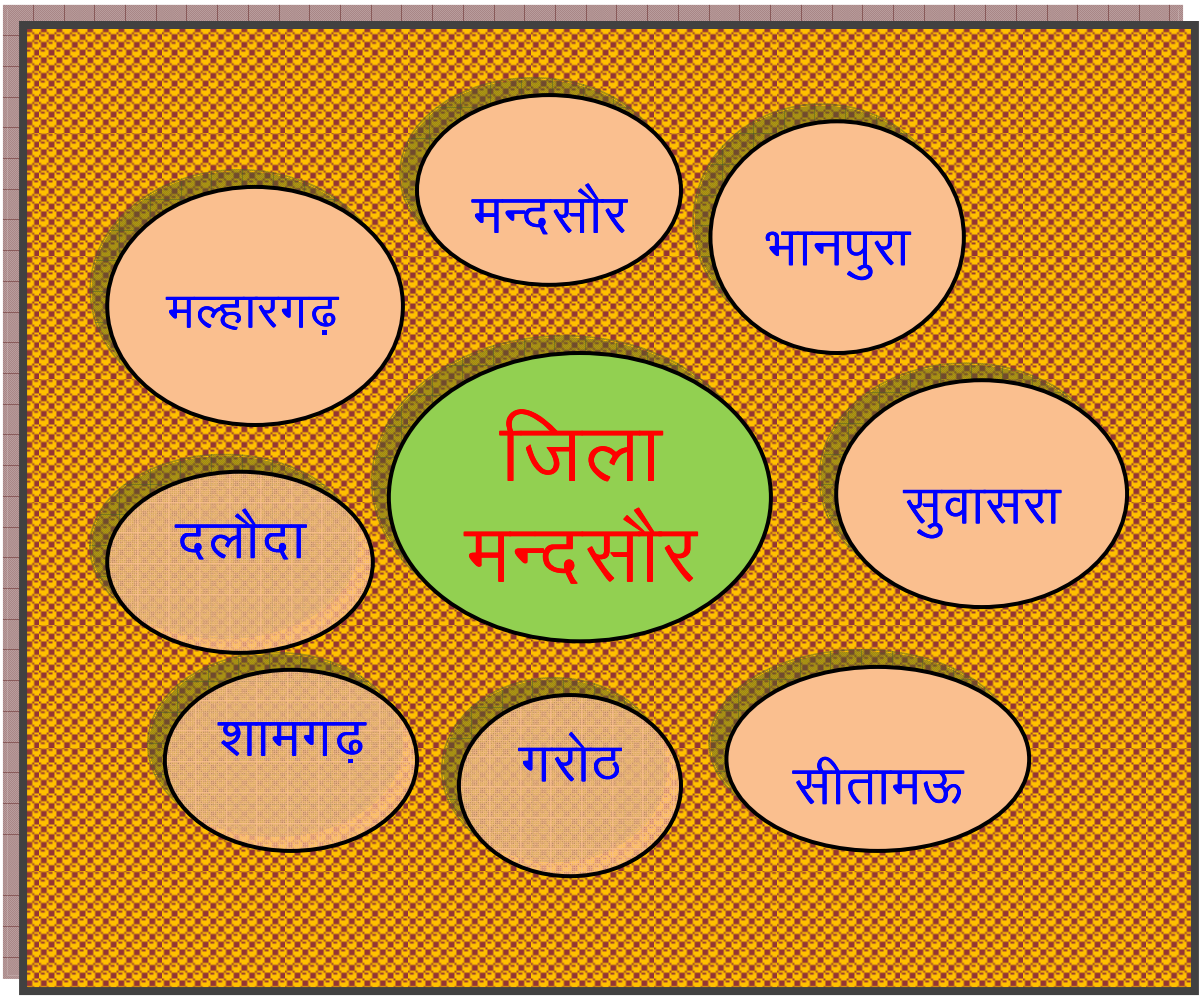

## स्थानीय निकाय

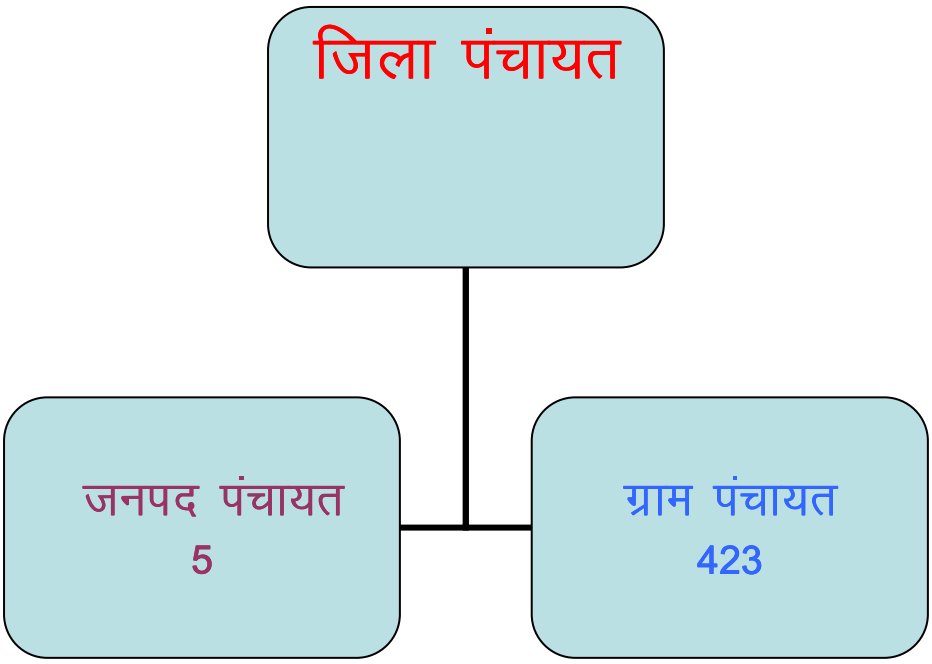


## भौगोलिक संरचना

**स्थिति** : मंदसौर जिला स्थिति के रूप मे मध्य प्रदेश के उत्तर मे स्थिति है, परन्तु यह पश्चिमी संभाग क्षेत्र उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। यह $23^0$45''50'' पूर्व उत्तर से $25^0$2'55''उत्तर अक्षांश के बीच मे पड़ता है एवं देशांतर रेखांश मे $74^0$42'30'' पूरब एवं $75^0$50'20'' पूरब रेखाओं के बीच स्थित है।

**सीमाएँ** : जिले की राजस्थान के चार जिलों से घिरी हुई है जो कि पश्चिम मे चितौड़गढ़, उत्तर मे भीलबाड़ा, उत्तर–पूर्व मे घोटा एवं पूरब मे झालाबाड़ से घिरा हुआ है वहीं पर मध्यप्रदेश की रतलाम जिला दक्षिण से लगा हुआ है।

**क्षेत्रफल** : मंदसौर जिला मध्यप्रदेश के सामान्य जिलों के बराबर क्षेत्रफल मे है। यह उत्तर से दक्षिण 142 कि.मी. एवं पूर्व से पश्चिम 124 कि.मी. क्षेत्र मे फैला हआ है।

**वार्षिक वर्षा** : यहॉ पर वार्षिक वर्षा लगभग 786.6 मि.मी. होती है।

**जिले के प्रमुख बांधों का विवरण:** मन्दसौर जिलें में तीन बड़े बांध है। इनमें से गॉधी सागर सबसे बडा है। गॉधी सागर बॉध जिला मुख्यालय से 168 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। यह बॉध चम्बल नदी के ऊपर निर्मित किया गया है। इस बॉध के निर्माण का सुभारम्भ 07 मार्च 1954 को भारत के तातकालिक प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस बॉध में विद्युत उत्पादन का कार्य भी किया जाता है। 23 मेगावाट क्षमता की कुल पॉच टरबाइने लगी हैं, जिनसे कुल 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तैयार बिजली मध्य प्रदेश के साथ–साथ राजस्थान के कुछ जिलों को भी प्रदान की जाती है।

## जलवायु एवं तापमान

जिले की जलवायु समशीतोष्ण है। सर्दियॉ प्राया नवम्बर से जनवरी तक चलती है जबकि तापमान औसत 06 डिग्री सेलसियस से 25 डिग्री सेलसियस के बीच रहता है। फरवरी माह में सर्दी का प्रभाव कम हो जाता है। मार्च से जून तक गर्मीयों का मौसम रहता है; गर्मियों में तापमान $30^0$ सेलसियस से $45^0$ सेलसियस के बीच रहता है।

## जिले में पिछले पॉच वर्षो में औषत वर्षा (मि0मी0 में):

| क्र. | वर्ष | वर्षा |
|---|---|---|
| 1 | 2004–05 | 421 |
| 2 | 2005–06 | 657 |
| 3 | 2006–07 | 1409 |
| 4 | 2007–08 | 759 |

स्त्रोतः जिला सांख्यिकीय पुस्तिका

## आर्द्रता

वर्षा ऋतु को छोड़ जब कि आर्द्रता अधिक रहती है, जिले का वातावरण सामान्यतः शुष्क रहता है। वर्ष का शुष्कतम भाग ग्रीष्मकाल होता है, जब आपेक्षित आर्द्रता 20 प्रतिशत से भी कम होती है।

### मेघाच्छन्नता

वर्षा ऋतु को छोड़ जब आकश में बहुत बादल छाए होते हैं या आकाश मेघाच्छन्न होता है, आकाश स्वच्छ होता है या उसमें हल्के बादल छाये होते हैं।

# जिला मन्दसौर में जनसंख्या एवं अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े

## समान्य जानकारी जिला मन्दसौर

| तालिका क0 1.1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क0 | विकास खण्ड | भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग कि0मी0 | आबाद ग्राम | ग्राम पंचायम | जनपद पंचायत | जिला पंचायत |
| 1 | भानपुरा | 1039 | 86 | 45 | 01 | 00 |
| 2 | गरोठ | 1130 | 195 | 91 | 01 | 00 |
| 3 | मल्हारगढ | 806 | 168 | 78 | 01 | 00 |
| 4 | मन्दसौर | 1266 | 223 | 119 | 01 | 01 |
| 5 | सीतामऊ | 1276 | 234 | 108 | 01 | 00 |

| तालिका क0 1.2 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क0 | विकास खण्ड | राजस्व निरीक्षक मण्डल | पटवारी हल्के | जनसंख्या 1991 | जनसंख्या 2001 | दशकीय वृद्धि |
| 1 | मन्दसौर | 03 | 82 | 316432 | 396919 | 25.42 |
| 2 | भानपुरा | 01 | 23 | 105917 | 132722 | 25.30 |
| 3 | गरोठ | 02 | 45 | 179869 | 224325 | 24.70 |
| 4 | मल्हारगढ | 02 | 43 | 154348 | 185079 | 19.90 |
| 5 | सीतामऊ | 03 | 62 | 200303 | 244679 | 22.15 |

| तालिका क्र0 1.3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 | विकास खण्ड | अन0जा0 | कुल जनसंख्या का प्रतिशत | अ0ज0जा0 | कुल जनसंख्या का प्रतिशत |
| 1 | भानपुरा | 20965 | 15.80 | 6615 | 4.98 |
| 2 | गरोठ | 44239 | 19.72 | 2394 | 1.07 |
| 3 | मल्हारगढ | 35908 | 19.40 | 7665 | 4.14 |
| 4 | मन्दसौर | 59403 | 14.97 | 17449 | 4.4 |
| 5 | सीतामऊ | 51747 | 21.15 | 3403 | 1.39 |

| तालिका क्र0 1.4 | | | |
|---|---|---|---|
| क्र0 | विकास खण्ड | कुल साक्षरों की संख्या 2001 | साक्षरता प्रतिशत |
| 1 | भानपुरा | 71956 | 65.34 |
| 2 | गरोठ | 115837 | 62.43 |
| 3 | मल्हारगढ | 117426 | 75.24 |
| 4 | मन्दसौर | 246222 | 73.70 |
| 5 | सीतामऊ | 147745 | 72.50 |

## शैक्षणिक संस्थाओं का विवरण

| क्र. | विकास खण्ड | प्राथमिक शालाएं | माध्यमिक शालाएं | हाईस्कूल | हायर सेकेण्ड्री | महाविद्यालय | व्यवसायिक | आश्रम शालाएं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मन्दसौर | 496 | 308 | 48 | 34 | 02 | 08 | 00 |
| 2 | भानपुरा | 212 | 91 | 17 | 10 | 01 | 00 | 00 |
| 3 | गरोठ | 334 | 144 | 22 | 13 | 01 | 01 | 00 |
| 4 | मल्हारगढ | 298 | 168 | 20 | 09 | 00 | 01 | 00 |
| 5 | सीतामऊ | 378 | 196 | 28 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| **योग** | | **1718** | **907** | **135** | **76** | **04** | **10** | **00** |

स्त्रोत : जिला सांख्यिकीय पुस्तिका 2008

## चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र :

| क्र. | विकास खण्ड | एलोपैथिक चिकित्सालय | प्राथ.स्वा. केन्द | उपस्वा. केन्द्र | आयुर्वेदिक / होम्यो / यूनानी | उपलब्ध शैयांएं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | एलोपैथिक | अन्य पद्धति |
| 1 | मन्दसौर | 01 | 07 | 42 | 12 | 292 | 30 |
| 2 | भानपुरा | 01 | 12 | 19 | 04 | 51 | 00 |
| 3 | गरोठ | 01 | 13 | 34 | 07 | 96 | 00 |
| 4 | मल्हारगढ | 00 | 08 | 35 | 05 | 42 | 00 |
| 5 | सीतामऊ | 00 | 07 | 38 | 09 | 68 | 00 |
| **योग** | | **03** | **47** | **168** | **37** | **549** | **30** |

स्त्रोत : जिला सांख्यिकीय पुस्तिका 2008

## उपलब्ध चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / कर्मचारी

| क्र. | विकास खण्ड का नाम | चिकित्सा अधिकारी | | संक्रामक रोग निवारणार्थ कर्मचारी | स्वास्थ्य निरीक्षक | नर्स | कम्पाण्डर | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एलोपैथी | अन्य पद्धति | | | | | |
| 1 | मन्दसौर | 32 | 10 | 237 | 00 | 103 | 02 | 00 |
| 2 | भानपुरा | 06 | 00 | 89 | 00 | 40 | 01 | 00 |
| 3 | गरोठ | 08 | 02 | 159 | 00 | 65 | 02 | 00 |
| 4 | मल्हारगढ | 11 | 02 | 133 | 00 | 71 | 01 | 00 |
| 5 | सीतामऊ | 07 | 03 | 132 | 00 | 68 | 02 | 00 |
| **योग** | | **64** | **17** | **750** | **00** | **347** | **08** | **00** |

स्त्रोत : जिला सांख्यिकीय पुस्तिका 2008

## पशु चिकित्सालय एवं औषधालयों का विवरण

| क्र0 | विकास खण्ड | चिकित्सालय | औषधालय |
|---|---|---|---|
| 1 | भानपुरा | 01 | 05 |
| 2 | गरोठ | 02 | 08 |
| 3 | मल्हारगढ | 01 | 08 |
| 4 | मन्दसौर | 01 | 06 |
| 5 | सीतामऊ | 01 | 06 |
| **योग** | | **06** | **33** |

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली उचित मूल्य की दुकानों का विवरण

| क्र0 | विकासखण्ड | शहरी | ग्रामीण | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मन्दसौर | 26 | 93 | 119 |
| 2 | भानपुरा | 04 | 28 | 32 |
| 3 | गरोठ | 05 | 62 | 67 |
| 4 | मल्हारगढ | 06 | 67 | 73 |
| 5 | सीतामऊ | 03 | 86 | 89 |
| **कुल योग** | | **44** | **336** | **380** |

## यातायात व्यवस्था – रेल सड़क वायु तथा जल

**रेल :**

जिले से रेल मार्ग दिल्ली मुम्बई गुजरता है जिसके प्रमुख रेल्वे स्टेशन शामगढ, सुवासरा तथा गरोठ हैं। एक अन्य रेल मार्ग रतलाम अजमेर है जो जिले में पचनारा, दलोदा, मन्दसौर, पिपलिया मंडी तथा मल्हारगढ होकर गुजरता है।

**सड़क :**

जिले से तीन प्रमुख राज्य मार्ग गुजरते हैं, राज्य मार्ग 79 बोतलगंज से मन्दसौर एवं फतेहगढ, बोतलगंज से चलदू नीमच सीमा तक जाती है। राज्य मार्ग 31 प्रतापगढ से चौमेला, मन्दसौर, सीतामऊ होकर गुजरती है। राज्य मार्ग 31 ए झालावाड रोड राजस्थान सीमा से नीमच तक गुजरती है।

**वायु :**

जिले में कोई हवाई अड्डा नही है। निकटवर्ती हवाई अड्डा इन्दौर में हैं जो मन्दसौर से लगभग 200 किमी0 दूर है।

**जलमार्ग :**

जिला मन्दसौर में बडे जलमार्ग की कोई संभावना नही है परंतु छोटे–छोटे जलमार्ग का उपयोग लोगों द्वारा किया जाता है जिले में बडें बाधों एवं चम्बल नदी होने के कारण एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिये लोग छोटी एवं बडी नाव का उपयोग करते हैं। जिसमें कई बार नाव दुर्घनायें भी हुई हैं।

## संचार व्यवस्था

| क0 | तहसील | प्रधान डाक घर | प्राथमिक/उप डाक घर | शाखा कार्यलय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भानपुरा | 00 | 03 | 21 |
| 2 | गरोठ | 00 | 02 | 36 |
| 3 | मल्हारगढ | 00 | 04 | 35 |
| 4 | मन्दसौर | 01 | 10 | 55 |
| 5 | सीतामऊ | 00 | 04 | 28 |
| 6 | सुवासरा | 00 | 01 | 18 |
| 7 | दलौदा | | | |
| 8 | शामगढ़ | | | |
| **योग** | | **01** | **24** | **203** |

स्त्रोत : जिला सांख्यिकीय पुस्तिका 2008, ''नवगठित तहसीलों का विवरण अप्राप्त।''